भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2021
जिसका उत्तर शुक्रवार, 02 अगस्त, 2024 को दिया जाना है

लोक अदालत

2021. डॉ. डी. रवि कुमार :

डॉ. थोल तिरूमावलवन :

श्री जी. सेल्वम :

डॉ. निशिकान्त दुबे :

श्री सी. एन. अन्नादुरई :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य-बार तथा स्थान-वार, विशेषकर तमिलनाडु में, कितनी लोक अदालतें आयोजित की गई हैं ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों की संख्या तथा लंबित मामलों की संख्या कितनी रही ;

(ग) क्या सरकार विभिन्न लोक अदालतों में दायर मामलों के निपटान का लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं एवं इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है ;

(घ) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हाशिए पर स्थित लोगों को विधिक सहायता बढ़ाने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को धनराशि उपलब्ध कराई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) सरकार द्वारा लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए ऐसी अदालतों का अधिक बार आयोजन करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(च) आगामी वर्ष के दौरान कितनी लोक अदालतें आयोजित करने का प्रस्ताव है तथा लोक अदालत को अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालतों, राज्य लोक अदालतों और स्थायी लोक अदालतों (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं) द्वारा आयोजित लोक अदालतों की संख्या और निपटाए गए मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्रमशः **उपाबंध-क, उपाबंध-ख** और **उपाबंध-ग** में दिया गया है।

लोक अदालतों का आयोजन विधिक सेवा संस्थानों द्वारा ऐसे अंतरालों पर किया जाता है, जैसा कि वे न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने और मुकदमेबाजी से पहले के चरण में विवादों को निपटाने के लिए उचित समझते हैं। लोक अदालतें स्थायी स्थापन नहीं हैं और संबंधित न्यायालयों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट लंबित न्यायालय मामलों को संभालती हैं। चूँकि लोक अदालतें स्थायी प्रकृति की नहीं होती हैं, इसलिए सभी अनसुलझे मामले संबंधित न्यायालयों में वापस कर दिए जाते हैं और इसलिए वे लोक अदालतों में लंबित नहीं रहते हैं। यह उल्लेख किया गया है कि किसी भी प्रकार की लोक अदालत के आयोजन से पहले कोई विशिष्ट निपटान लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है।

(घ) : सरकार ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सहायता कार्यक्रमों को लागू करने के लिए पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (जुलाई, 2024 तक) के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) को निम्नलिखित अनुदान सहायता जारी की है:

(रुपए करोड़ मेँ)

वर्ष	जारी की गई निधि
2021-22	145
2022-23	190
2023-24	400
2024-25	83
कुल	818

(ङ) : राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम, 2009 द्वारा अधिक लोक अदालतें आयोजित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत /निर्देश जारी किए गए हैं जिससे लंबित मामलों को कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त, कोविड के मद्देनजर, ई-लोक अदालत की परिकल्पना की गई, जिसने लोक अदालतों में भाग लेने में असमर्थ लोगों के लिए न्याय तक पहुंच में काफी सुधार किया। पहली ई-लोक अदालत 27.06.2020 को आयोजित की गई थी और तब से 28 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्र में ई-लोक अदालतें आयोजित की जा चुकी हैं; जिसमें 902.96 लाख मामले लिए गए और 96.90 लाख मामलों का निस्तारण किया गया।

(च) : हर वर्ष, नाल्सा राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजन के लिए कैलेंडर जारी करता है। वर्ष 2024 के दौरान, 9 मार्च और 11 मई को राष्ट्रीय लोक अदालतें आयोजित की गईं। राष्ट्रीय लोक अदालतें 2024 के 14 सितंबर और 14 दिसंबर को आयोजित की जानी हैं। राज्य लोक अदालतें स्थानीय परिस्थितियों और ज़रूरतों के अनुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित की जाती हैं।

****

उपाबंध-क

लोक अदालत- डॉ. डी रवि कुमार, डॉ. थिरुमावलवन थोलकाप्पियन, श्री सेल्वम जी, डॉ. निशिकांत दुबे और श्री सी एन अन्नादुरई, ,संसद सदस्यों द्वारा उठाए गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2021 जिसका उत्तर 02.08.2024 को दिया जाना है,के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष अर्थात 2021, 2022, 2023 और 2024 (जून, 2024 तक) के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों (पूर्व-मुकदमेबाजी और लंबित दोनों मामलों) की जानकारी वाला विवरण।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र- प्राधिकरण का नाम	2021	2022	2023	2024
		निपटाए गए मामले	निपटाए गए मामले	निपटाए गए मामले	निपटाए गए मामले
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	3997	3310	1536	1536
2	आंध्र प्रदेश	122839	647956	671612	55729
3	अरुणाचल प्रदेश	1054	1071	990	445
4	असम	39642	113989	164445	77724
5	बिहार	151620	305483	357765	99758
6	चंडीगढ़	16833	15569	63764	14811
7	छत्तीसगढ	134548	1125318	1664237	642364
8	दादर और नागर हवेली	172	1323	982	45
9	दमण और दीव	113	215	19650	1158
10	दिल्ली	154992	535025	671278	344040
11	गोवा	1680	3934	3505	1781
12	गुजरात	748722	1185571	1863177	1040081
13	हरियाणा	123413	673487	985650	535751
14	हिमाचल प्रदेश	35556	111150	150181	63587
15	जम्मू - कश्मीर	166544	390496	404665	265955
16	झारखंड	232473	1121405	2822947	961313
17	कर्नाटक	1277856	3444607	14840452	2900312
18	केरल	68681	136101	57726	25630
19	लद्दाख	1463	1444	1781	737
20	लक्षद्वीप	7	129	41	27
21	मध्य प्रदेश	347333	419776	536105	213666

22	महाराष्ट्र	2440375	4754239	3543736	1245202
23	मणिपुर	794	1343	437	410
24	मेघालय	852	956	680	464
25	मिजोरम	790	4432	4087	599
26	नागालैंड	941	888	801	401
27	ओडिशा	35557	337065	348288	297959
28	पुदुचेरी	5084	6405	6297	2242
29	पंजाब	138175	392256	760712	512269
30	राजस्थान	286834	4572315	16586071	2475175
31	सिक्किम	110	232	126	22
32	तमिलनाडु	**191604**	**447536**	**355762**	**160786**
33	तेलंगाना	349902	1611677	5591849	12159965
34	त्रिपुरा	1070	4814	15724	20191
35	उत्तर प्रदेश	5551793	18698973	31644594	9483008
36	उत्तराखंड	20882	67438	85032	35127
37	पश्चिमी बंगाल	133736	788082	1115532	723129
	कुल योग	**12788037**	**41926010**	**85342217**	**34363399**

उपाबंध 2

लोक अदालत- डॉ. डी रवि कुमार, डॉ. थिरुमावलवन थोलकाप्पियन, श्री सेल्वम जी, डॉ. निशिकांत दुबे और श्री सी एन अन्नादुरई, ,संसद सदस्यों द्वारा उठाए गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2021 जिसका उत्तर 02.08.2024 को दिया जाना है,के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष अर्थात 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25 (जून, 2024 तक) के दौरान गठित राज्य लोक अदालतों और पीठों में निपटाए गए मामलों (पूर्व-मुकदमेबाजी और लंबित दोनों मामलों) की जानकारी वाला विवरण।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र- प्राधिकरण का नाम	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		गठित न्यायपीठों की संख्या	निपटाए गए मामले	गठित न्यायपीठों की संख्या	निपटाए गए मामले	गठित न्यायपीठों की संख्या	निपटाए गए मामले	गठित न्यायपीठों की संख्या	निपटाए गए मामले
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	4874	12123	4999	6720	80	1825	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	24	91	1	4	0	0	0	0
4	असम	136	13672	0	0	0	0	0	0
5	बिहार	1	6	9	574	0	0	0	0
6	चंडीगढ़	69	37	30	538	32	1413	0	0
7	छत्तीसगढ	187	228	124	139	0	0	0	0
8	दादर और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
9	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
10	दिल्ली	250	147103	60	11094	198	123151	0	0
11	गोवा	30	3209	43	1308	13	245	1	0
12	गुजरात	5157	15546	3805	19717	12	244	762	3994
13	हरियाणा	54762	115797	43135	230018	92	29196	0	0
14	हिमाचल प्रदेश	260	22031	142	4198	59	2880	14	727
15	जम्मू - कश्मीर	24	3271	225	76683	134	28170	65	25869
16	झारखंड	1310	22954	1523	10868	1495	33718	418	652058
17	कर्नाटक	412	2524	229	2632	0	0	0	0
18	केरल	302	19226	607	23246	657	26231	12	134
19	लद्दाख	4	32	4	240	0	0	0	0
20	लक्षद्वीप	0	0	3	3	1	1	0	0

21	मध्य प्रदेश	808	4110	1242	5367	1472	48996	351	787
22	महाराष्ट्र	6	28	30	341	38	580	0	0
23	मणिपुर	0	0	4	43	0	0	0	0
24	मेघालय	23	89	0	0	0	0	0	0
25	मिजोरम	17	204	41	1202	12	94	16	173
26	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ओडिशा	12	326	6	112422	3	244230	0	0
28	पुदुचेरी	42	262	47	743	38	492	1	12
29	पंजाब	339	1108	6	15	154	2268	0	0
30	राजस्थान	786	845	1202	1628	1086	1039	285	335
31	सिक्किम	110	636	150	887	143	784	39	118
32	तमिलनाडु	**759**	**13066**	**1295**	**16369**	**1336**	**34744**	**173**	**1756**
33	तेलंगाना	2827	7363	2604	25365	2474	171817	648	9462
34	त्रिपुरा	93	11624	19	2492	62	25637	0	0
35	उत्तर प्रदेश	57	31414	30	259125	172	411941	74	1096
36	उत्तराखंड	25	8605	125	26498	102	17407	20	1954
37	पश्चिमी बंगाल	774	74999	454	10830	0	0	0	0
	कुल योग	**74480**	**532529**	**62194**	**851309**	**9865**	**1207103**	**2879**	**698475**

उपाबंध 3

लोक अदालत- डॉ. डी रवि कुमार, डॉ. थिरुमावलवन थोलकाप्पियन, श्री सेल्वम जी, डॉ. निशिकांत दुबे और श्री सी एन अन्नादुरई, ,संसद सदस्यों द्वारा उठाए गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2021 जिसका उत्तर 02.08.2024 को दिया जाना है,के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष अर्थात 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25 (जून, 2024 तक) के दौरान स्थायी लोक अदालतों (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं) की बैठकों की संख्या और इन बैठकों में निपटाए गए मामलों की जानकारी वाला विवरण।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-प्राधिकरण का नाम	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		वर्ष के दौरान बैठक	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के दौरान बैठक	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के दौरान बैठक	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के दौरान बैठक	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	927	1406	1058	558	1349	1134	350	399
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
4	असम	141	56	213	56	195	97	34	6
5	बिहार	482	221	313	157	0	0	0	0
6	चंडीगढ़	240	687	241	10945	239	11511	60	1761
7	छत्तीसगढ	1045	1199	1224	2028	1174	6749	279	63
8	दादर और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
9	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
10	दिल्ली	791	17395	773	18682	781	19337	205	4805
11	गोवा	2	0	0	0	0	0	1	20
12	गुजरात	9	2238	1	8	0	0	0	0
13	हरियाणा	3547	30960	3416	72440	3659	107362	911	17126
14	हिमाचल प्रदेश	9	11	0	0	0	0	0	0
15	जम्मू - कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0
16	झारखंड	5144	32514	6216	26154	5826	35715	1625	3822
17	कर्नाटक	1292	5371	904	4588	603	4190	249	485
18	केरल	212	1104	226	2564	415	1527	121	81
19	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0
20	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
21	मध्य प्रदेश	886	574	1176	608	1071	409	213	67

22	महाराष्ट्र	918	765	1017	1208	1023	485	240	260
23	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0
24	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0
25	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
26	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ओडिशा	742	1561	753	1612	1041	1891	308	446
28	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0
29	पंजाब	4538	9967	4902	14545	4969	20279	1263	4311
30	राजस्थान	2960	3228	4435	5072	4230	5799	1276	1083
31	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
32	तमिलनाडु	**671**	**272**	**1121**	**528**	**1119**	**427**	**268**	**89**
33	तेलंगाना	108	6674	118	7540	104	12746	18	4405
34	त्रिपुरा	44	81	70	162	97	157	34	15
35	उत्तर प्रदेश	3961	1087	3720	1173	4476	2516	1017	366
36	उत्तराखंड	484	765	590	510	649	432	187	104
37	पश्चिमी बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल योग	**29153**	**118136**	**32487**	**171138**	**33020**	**232763**	**8659**	**39714**

****